वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		470.00	85.70	555.70	440.00	79.99	519.99	215.00	88.12	303.12
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**470.00**	**85.70**	**555.70**	**440.00**	**79.99**	**519.99**	**215.00**	**88.12**	**303.12**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	1.80	18.80	20.60	1.40	19.22	20.62	1.00	18.41	19.41
उद्योग										
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	9.50	3.80	13.30	5.00	3.42	8.42	5.25	3.42	8.67
3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	2852	6.00	0.80	6.80	6.00	0.72	6.72	9.00	0.72	9.72
4. भारतीय गुणवत्ता परिषद	2852	0.25	...	0.25	...	...	...	0.25	...	0.25
5. अधिसूचित कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण आदि	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान स्कीम	2852	270.00	...	270.00	250.00	...	250.00	...	...	...
7. अन्य कार्यक्रम	2852	2.25	0.22	2.47	2.25	0.20	2.45	7.10	0.20	7.30
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग										
8.01 एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	2.49	2.49	...	3.15	3.15	...	3.65	3.65
8.02 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.30	7.30
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
9. विस्फोटक पदार्थ संगठन	2070	2.00	8.19	10.19	2.00	8.16	10.16	4.00	8.66	12.66
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
10. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	11.30	11.30	...	10.34	10.34	...	11.52	11.52
11. ट्रेड मार्क रजिस्ट्री की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण	3475	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00
12. पेटेंट कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	3475	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
13. आर्थिक सलाहकार	3475	0.20	1.52	1.72	0.20	1.34	1.54	0.20	1.46	1.66
जोड़ - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**22.20**	**12.82**	**35.02**	**22.20**	**11.68**	**33.88**	**24.20**	**12.98**	**37.18**
14. बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड (पीएबी)	3475	...	...	...	...	0.27	0.27	...	1.21	1.21
15. टैरिफ कमीशन	2852	1.00	2.48	3.48	1.00	2.35	3.35	1.05	2.50	3.55
16. नमक आयुक्त	2852	...	11.43	11.43	...	10.60	10.60	...	10.40	10.40
17. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	5.00	3.00	8.00	5.00	2.70	7.70	5.00	2.50	7.50
18. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण	2852	2.30	4.67	6.97	2.30	3.52	5.82	3.60	3.17	6.77
19. सीमेंट उद्योग विकास परिषद्	2852	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
20. अन्य योजनाएं	2852	*17.09*	*6.00*	*23.09*	*16.74*	*3.00*	*19.74*	*12.31*	*9.00*	*21.31*
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय										
21. पिछड़े क्षेत्रों का विकास										
21.01 निवेश संबंधी आर्थिक सहायता	2885	8.00	...	8.00	3.50	...	3.50	4.02	...	4.02
21.02 औद्योगिक एककों को परिवहन संबंधी आर्धिक सहायता	2885	86.00	...	86.00	86.00	...	86.00	90.00	...	90.00
21.03 विकास केन्द्र	2885	32.50	...	32.50	32.50	...	32.50	40.00	...	40.00
21.04 पूंजी निवेश संबंधी आर्थिक सहायता	2885	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
21.05 केन्द्रीय ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता स्कीम	2885	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
21.06 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत बीमा स्कीम	2885	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.22	...	0.22
जोड़ औद्योगिक और खनिज पर अन्य परिव्यय		**128.61**	**...**	**128.61**	**124.11**	**...**	**124.11**	**141.24**	**...**	**141.24**
कुल जोड़		***470.00***	***85.70***	***555.70***	***440.00***	***79.99***	***519.99***	***215.00***	***88.12***	***303.12***

(करोड़ रुपए)

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट 2000-2001 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	संशोधित 2000-2001 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट 2001-2002 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00
2. अन्य उद्योग	12875	304.39	...	304.39	279.29	...	279.29	42.56	...	42.56
3. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	128.61	...	128.61	124.11	...	124.11	141.24	...	141.24
4. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	1.80	...	1.80	1.40	...	1.40	1.00	...	1.00
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	28.20	...	28.20	28.20	...	28.20	24.20	...	24.20
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**470.00**	**...**	**470.00**	**440.00**	**...**	**440.00**	**215.00**	**...**	**215.00**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद: इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में उत्पादकता के प्रति जागरुकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, प्रायोगिक अनुसंधान, आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान:** इसकी स्थापना, उद्योग में डिजाइन के प्रति जागरूकता पैदा करने और मिट्टी की बनी वस्तुओं के डिजाइन, उत्पाद डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन और इर्गोनोमिक्स और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। बजट में संस्थान के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था है।

4. **भारतीय गुणवत्ता परिषद:** भारतीय गुणवत्ता परिषद एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभों और इसके निर्यात-निष्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित कर सुधार लाना है।

5. **आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास:** भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान संघ, आटोमोटिव इंजीनियरी उद्योग में अनुसंधान, विकास और उत्पादों के परीक्षण हेतु व्यवस्था की गई है जिसमें ये शामिल हैं (i) उत्पाद-अभिकल्प और विकास; (ii) चालन क्षमता, सड़क पर प्रयोग किए जाने की क्षमता और ईंधन संबंधी कार्यक्षमता हेतु ऑटोमोटिव उपस्करों तथा सहायक उपस्करों का मूल्यांकन; और (iii) मानकीकरण और तकनीकी सूचना सेवाएं।

6. **1.4.2001 से स्वैच्छिक सेवा निवृति के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान सहायता की योजना, योजना का विकेन्द्रीयकरण किया गया है:** - इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के तहत पृथक हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना योग्य कर्मचारियों को आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पुर्नःसंरचना के परिणामस्वरूप प्राप्त सुरक्षा जाल उपलब्ध कराती है।

7. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ (आई.आर.एम. आर.ए.) के व्यय, अन्य व्ययों, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद् और बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।

8. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग:**

8.01 **एशियाई उत्पादकता संगठन:** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

8.02 **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** इसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

9. **विस्फोटक पदार्थ संगठन:** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है। जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 और उनके अन्तर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों का प्रशासन करता है। यह स्थापना सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों पर परामर्श देता है, और पुलिस, हवाई पत्तन सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि को विस्फोटक पदार्थों तथा भ्रामक युक्तियों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देता है। यह सुरक्षात्मक प्रबन्धों में सुधार लाने के लिए विशेष मानक तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय भी करता है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

10, 11 और 12. **पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक आदि, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, पेटेन्ट कार्यालय का आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण:** यह कार्यालय, पेटेन्ट अधिनियम, 1970 डिजाइन अधिनियम, 1911, व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 और पेटेन्ट सूचना सेवा आदि को प्रशासित करता है।

13. **आर्थिक सलाहकार:** यह कार्यालय (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर सलाह प्रदान करता है, (ii) औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, (iii) औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में ऋण नीति, ऋण आयोजना और इसकी उपलब्धता से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है, (iv) उद्योग के लिए वित्तीय प्रस्तावों और शुल्क/उगाहियों का विश्लेषण करता है, (v) औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यों का समन्वयन करता है, (vi) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है, (vii) मंत्रिमंडल के मासिक सार से संबंधित कार्य का समन्वय करता है, (viii) उन मंत्रिमंडल नोटों/सचिवों की समिति के लिए नोटों पर टिप्पणियां करता है जिनका औद्योगिक और व्यापारिक निष्पादन पर प्रभाव होता है, (ix) औद्योगिक नीति और सांख्यिकी आदि की पुस्तिका का संकलन और प्रकाशन करता है।

14. **बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.):** रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना की जा रही है। बौद्धिक सम्पत्ति अपीलीय बोर्ड ने उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का स्थान लिया है। अपीलीय बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार सहायक स्टाफ शामिल होगा। बौद्धिक सम्पत्ति अपीलीय बोर्ड के तहत की गई बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है।

15. टैरिफ आयोग: भारत सरकार द्वारा 1997 में स्थापित नए आयोग पर किए गए स्थापना व्ययों को वहन करने के लिए।

16. **नमक आयुक्त:** यह संगठन केन्द्रीय नमक उपकर अधिनियम, 1953 और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्तिसंगत वितरण को भी विनियमित करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

17. **केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान:** केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलूर नए डिजाइन और नियंत्रण प्रणालियों के विकास द्वारा इंजीनियरी उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मशीनी औजार उद्योग के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह संस्थान प्रोटोटाइप्स का मूल्यांकन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-परीक्षण, धातु कटाई और उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। यह उद्योग को सी.ए.डी./सी.ए.एम. सेवा प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण और तकनीकी सूचना उपलब्ध कराता है। बजट में संस्थान के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।

18. **औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण:** इसके अन्तर्गत केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज, लुगदी और सम्बद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद को दिए जाने वाले अनुदान शामिल है।

19. **सीमेंट उद्योग संबंधी विकास परिषद:** यह संस्था सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सहायता उपलब्ध कराती है।

20. **अन्य स्कीमें**ः इसमें भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम, प्रतिष्ठान, निवेश बोध संवर्धन गतिविधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी उन्नयन केन्द्र के लिए व्यवस्था शामिल है। विकासशील देशों में छोटे और मध्यम उद्यमियों को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य से यूनिडो (यू.एन.आई.डी.ओ.) के सहयोग से बंगलौर में इंटरनेशनल सेंटर फार एडवांसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टैक्नालाजी (आई.सी.ए.एम.टी.) की स्थापना की जा रही है। केन्द्र का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और तकनीकों में प्रौन्नति के संवर्द्धन और अन्तरण के जरिए विनिर्माण, उत्पादकता, वस्तुओं की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में विकासशील देशों के प्रौद्योगीकीय निष्पादन को बढ़ाना है। यह केन्द्र, विशेष परियोजना इंजीनियरींग, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रदर्शनों और प्रौद्योगिकीयों, सॉफ्टवेयर और उपस्कर को चुनने और प्रयोग करने में सहायता करने सहित सेवाओं की व्यापक रेंज उपलब्ध कराएगा। केन्द्र, केन्द्रक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का डाटाबेस स्थापित करेगा और विनिर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता की संस्थाओं के भूमंडलीय नेटवर्क का एक केन्द्रीय बिन्दु होगा।

उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय

21. पिछड़े क्षेत्रों का विकास

21.01 **निवेश संबंधी आर्थिक सहायता**ः इसमें निवेश संबंधी आर्थिक सहायता के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

21.02 **औद्योगिक इकाईयों को परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता**ः इसमें औद्योगिक इकाईयों को परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

21.03 **वृद्धि केन्द्र** ः इसमें वृद्धि केन्द्रों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

23.04 **पूंजी निवेश सम्बन्धी आर्थिक सहायता** - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश योजना हेतू आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

23.05 **केन्द्रीय ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता स्कीम**ः यह स्कीम इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों को 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत की दर पर सहायता उपलब्ध कराती है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधान मंत्री की नई पहलों से प्रेरित है।

23.06 **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत बीमा स्कीम**ः इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24.12.1997 के बाद स्थापित और अग्निमशमन नीति "ग" में शामिल की गई (अखिल भारतीय अग्निशमन टैरिफ के अनुसार) औद्योगिक इकाइयों के लिए व्यापक बीमा की व्यवस्था की जाती है। स्कीम के तहत 10 वर्ष की अविध के लिए पूर्ण प्रीमियम सरकार द्वारा साधारण बीमा निगम लि. के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर वहन किया जाएगा।